



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना कोतवाली शहर

दिनांक 18.05.2026

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 376/2026 धारा 351(2) बी0एन0एस0 व 5m/5l/6 पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 17.05.2026 को थाना कोतवाली शहर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त वैभव पाराशर उर्फ विभु पुत्र श्री संजय पाराशर निवासी इन्दिरा विहार कालोनी, थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पुत्र के साथ गलत कार्य करना व वादी के पुत्र को जान से मारने की धमकी दी गई । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0स0 376/2026 धारा 351(2) बी0एन0एस0 व 5m/5l/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

आज थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त वैभव पाराशर उर्फ विभु पुत्र श्री संजय पाराशर निवासी इन्दिरा विहार कालोनी, थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

वैभव पाराशर उर्फ विभु पुत्र श्री संजय पाराशर निवासी इन्दिरा विहार कालोनी, थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. म0उ0नि0 ममता थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
2. उ0नि0 अंकुर राठी को0शहर जनपद बिजनौर ।
3. का0 1036 सुमित कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- यातायात पुलिस

दिनांक 18.05.2026

यातायात निदेशालय लखनऊ द्वारा ड्रंक एंड ड्राइविंग के विरुद्ध 02 दिवस के चलाये जा रहे अभियान के दौरान यातायात पुलिस जनपद बिजनौर द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण

यातायात निदेशालय लखनऊ द्वारा ड्रंक एंड ड्राइविंग, ध्वनि प्रदूषण एवं बिना HSRP नम्बर प्लेट के चल रहे वाहनों के विरुद्ध 02 दिवस के चलाये गये अभियान के अनुपालन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर के निर्देशानुसार अभियान के दौरान दिनांक 16.05.2026 व 17.05.2026 को स्थानीय पुलिस एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी तथा यातायात पुलिस जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित भनेड़ा टोल प्लाजा एवं पुरैनी टोल प्लाजा पर संयुक्त रूप से ड्रंक एंड ड्राइविंग, ध्वनि प्रदूषण एवं बिना HSRP नम्बर प्लेट के वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाया गया जिसमें ड्रंक एंड ड्राइविंग करने वाले 54 वाहनों के चालान किये गये एवं 28 दो पहिया वाहनों के मोडिफाईड साइलेंसर के चालान किये, 29 वाहनों के प्रेशर हार्न के चालान किये एवं बिना हाई सिक्वोरिटी नम्बर प्लेट के पाये जाने पर 45 वाहनों के चालान किये गये।

यातायात पुलिस जनपद बिजनौर की आमजन से अपील है कि किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करके वाहन न चलाये।









जनपद बिजनौर
प्रेस नोट थाना नहतौर

दिनांक -18.05.2026

थाना नहतौर पुलिस द्वारा अभियुक्त को अवैध तमंचे सहित गिरफ्तार किया गया ।

कार्यवाही:-

थाना नहतौर पुलिस द्वारा अभियुक्त अशोक कुमार उर्फ निककी पुत्र रामेश सिंह निवासी ग्राम मीमला मुस्तफाबाद थाना नहतौर बिजनौर को एक अवैध तमन्चा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया ।

इस सम्बन्ध मे थाना नहतौर पर मु0अ0स0 160/2026 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अशोक कुमार उर्फ निककी पुत्र रामेश सिंह निवासी ग्राम मीमला मुस्तफाबाद थाना नहतौर बिजनौर ।

बरामदगी का विवरण -

1. एक अवैध तमन्चा 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. का0 731 रोहित कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर
3. का01345 विक्रान्त राणा थाना नहतौर जनपद बिजनौर

